उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
संख्या-3728/सोतालिस- 1979
लखनऊ : दिनांक 7 जुलाई, 1979

कार्यालय-ज्ञाप

प्रशासनिक सुधार विभाग में पहले एक विशेष कार्याधिकारी (ओ०एफ०डी०) संगठन एवं विधि अधिकारी के पद थे। अब इन्हें समाप्त कर छः शोध अधिकारियों के पद सृजित कर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा क्षेत्र स्तर पर भी कार्य के लिये प्रशासनिक सुधार निदेशालय का नाम दे दिया गया है।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय का नाम दिये जाने से सचिवालय में यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई प्रतीत होती है कि शोध अधिकारी अब सचिवालय अधिकारी नहीं हैं और उन्हें सचिवालय से फर्नीचर, स्टेशनरी, आदि उपलब्ध नहीं होगी। यह स्थिति सही नहीं है। शोध अधिकारी सचिवालय कैडर से ही प्रेषित पदों हैं और उनके लिए फर्नीचर, स्टेशनरी आदि के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अतः वे अपने स्तर के समकक्ष सामान्य ऐसी सुविधाएं सचिवालय के अन्य अधिकारियों की भांति राज्य सम्पत्ति विभाग तथा सचिवालय प्रशासन विभाग तथा उनके अधीन स्टेशनरी, स्टोर्स आदि कार्यालयों से पाते रहेंगे, जिस प्रकार पहले विशेष कार्याधिकारी तथा संगठन एवं विधि अधिकारी पा रहे थे।

रतन कुमार गहलोत
आयुक्त एवं सचिव।

1- उप सचिव, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग
2- राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान/लेखा/विविध) के समस्त अनुभाग।
(2) राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1, 2, 3
(3) लेखन सामग्री अनुभाग/स्टोर कीपर/व्यवस्थापक, विधान भवन/ड्यूटीरम/कंट्रोल पोस्ट।

(जगदेव गुप्ता)
उप सचिव।